निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 पौष 1942 (श0)

(सं0 पटना 1) **पटना, शुक्रवार, 1 जनवरी 2021**

fof/k foHkkx

अधिसूचना

1 जनवरी 2021

सं० एल0जी0–01–17/2020/01/लेज—भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन बिहार राज्यपाल **दिनांक 1 जनवरी,** 2021 को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल,
सरकार के अवर सचिव ।

¼fcgkj v?;kns'k l[;k&01] 2021½
fcgkj djk/kku fookn dk lek/kku ¼f}rh;½ v/;kns'k] 2020
भारत–गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित

बिहार वित्त अधिनियम, भाग I (बिहार अधिनियम 5/1981) [जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा 94 द्वारा निरसित किये जाने के पूर्व था।], बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005), बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993, (बिहार अधिनियम 16/1993), बिहार होटल विलास वस्तु कर अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम 5/1988), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम XXXV/1948), बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007, [जो बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम 12/2017) की धारा 173 द्वारा निरसित किए जाने के पूर्व थे।], बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम 36/1948) [जो बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 4/2018) की धारा 23 द्वारा निरसित किए जाने के पूर्व था] और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम 74/1956), के कार्यवाहियों से उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु अध्यादेश।

चूँकि, बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2020 को बिहार कराधान विवादों का समाधान अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या–11, 2020) प्रख्यापित किया गया था;

और, चूँकि, सत्रहवीं बिहार विधानसभा के दिनांक 23 नवम्बर, 2020 से प्रारंभ होकर दिनांक 27 नवम्बर, 2020 तक संचालित प्रथम सत्र के दौरान कोई विधायी कार्य नहीं हुआ;

और, चूँकि, बिहार कराधान विवादों का समाधान अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या–11, 2020) दिनांक 07 जनवरी, 2021 को निष्प्रभावी हो जायेगा और उक्त अध्यादेश के प्रावधानों को निरंतर प्रभाव देने के लिए मामले में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करना जरूरी है;

और, चूँकि, बिहार राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है, और बिहार राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

v/;k; I
ikjfEHkd

1. lf{kIr uke] foLrkj vkj ikjEHkA&(1) यह अध्यादेश बिहार कराधान विवादों का समाधान (द्वितीय) अध्यादेश, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 21 सितम्बर, 2020 से प्रवृत्त हुआ माना जायेगा और उक्त तिथि से छः महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा :

परन्तु राज्य सरकार, इस प्रयोजनार्थ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, उक्त छः माह की अवधि को, अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अवधि तक परन्तु छः माह से अनधिक के लिए बढ़ा सकेगी।

2. ifjHkk"kk,A& इस अध्यादेश में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) **v/;kns'k** से अभिप्रेत है बिहार कराधान विवादों का समाधान (द्वितीय) अध्यादेश, 2020;

(ख) **Loh–r dj** से अभिप्रेत है विधि के अधीन पक्षकार द्वारा दाखिल विवरणियों में स्वीकार की गई देय कर की राशि;

(ग) **vihy** से अभिप्रेत है विधि के अधीन बिहार वित्त अधिनियम, 1981, भाग 1 की धारा 9 या बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अधीन नियुक्त और क्षेत्रीय अधिकारिता वाले राज्य–कर अपर आयुक्त (अपील) अथवा राज्य–कर संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित अपील;

(घ) **fookfnr cdk;k dj] 'kkfLr] C;kt ;k Qkbu** से अभिप्रेत है, –

(i) निर्धारिती द्वारा विधि के अधीन कर निर्धारण, पुनर्करनिर्धारण या संवीक्षा के आदेश या पारित अथवा किये गये किसी अन्य आदेश के अनुसरण में भुगतेय कर, चाहे जिस नाम से जाना जाए, या

(ii) विधि के किसी भी प्रावधानों के तहत निर्धारिती पर आरोपित शास्ति, या

(iii) विधि के किसी भी प्रावधानों के तहत निर्धारिती द्वारा भुगतेय ब्याज, या

(iv) विधि के किसी भी प्रावधानों के तहत निर्धारिती द्वारा भुगतेय फाईन;

(ड.) **fookn** से अभिप्रेत है अपील, पुनरीक्षण, विविध पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, रेफरेंश के माध्यम से कोई कार्यवाही या विधि के अधीन किसी कर, ब्याज, फाईन या शास्ति के पारित आदेश के अनुसरण में कोई याचिका, जो जून, 2017 के 30वें दिन या उससे पहले समाप्त होने वाली किसी भी अवधि के संबंध में विधि के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकार या ट्रिब्यूनल या, यथा स्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिनांक 31 अगस्त, 2020 को लंबित हो।

Li"Vhdj.k I& bl [k.M d i;kstukFk **fookn** es 'kkfey g(

(i) ऐसी कोई लेवी जिसके अनुसार सरकारी खजाने में पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया गया है, या

(ii) विधि के अधीन अथवा बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन नियुक्त अथवा विहित अथवा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ की गयी अथवा के समक्ष लम्बित किसी कर, ब्याज, फाईन अथवा शास्ति की वसूली हेतु कार्यवाही;

(च) **fookfnr jkf'k**] किसी विवाद के संबंध में, से अभिप्रेत है कोई कर, ब्याज, फाईन अथवा शास्ति की राशि जो विधि के अधीन कर निर्धारण, पुनर्करनिर्धारण या संवीक्षा के आदेश या किये गये अथवा पारित किये गये किसी अन्य आदेश के अनुसरण में, पक्षकार के पास भुगतेय के रूप में निर्धारित किया गया है;

(छ) **fof/k** से अभिप्रेत है बिहार वित्त अधिनियम, भाग I (बिहार अधिनियम 5/1981) [जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा 94 द्वारा निरसित किये जाने के पूर्व था।] बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005), बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993, (बिहार अधिनियम 16/1993) बिहार होटल विलास वस्तु कर अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम 5/1988), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम XXXV/1948), बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007, [जो बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम 12/2017) की धारा 173 द्वारा निरसित किए जाने के पूर्व थे।], बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम 36/1948) [जो बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 4/2018) की धारा 23 द्वारा निरसित किए जाने के पूर्व था] और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम 74/1956)

(ज) **i{kdkj** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो विधि के अधीन विवाद का एक पक्षकार हो और इस अध्यादेश के अधीन किसी विवाद के समाधान हेतु आवेदन दाखिल करता हो;

(झ) ^^fofgr** से अभिप्रेत जो इस अध्यादेश के अधीन बनायी गयी नियमावली में विहित है;

(ञ) इस अध्यादेश के प्रयोजनार्थ **fofgr ikf/kdkjh** से अभिप्रेत है वैसे पदाधिकारी जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 में वर्णित हैं;

(ट) **iqujh{k.k** से अभिप्रेत है विधि के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन, जो बिहार वित्त अधिनियम, 1981 भाग I की धारा 9 या बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अधीन नियुक्त वाणिज्य–कर आयुक्त अथवा विधि के अधीन गठित न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित हो;

(ठ) किसी विवाद के संदर्भ में ^^lek/kkfur** से अभिप्रेत है ऐसे विवाद से संबंधित कार्यवाही का निपटारा और समापन;

(ड) **lek/kku jkf'k** से अभिप्रेत है वह राशि जिसका भुगतान करने पर विवाद का समाधान हो जायेगा;

(ढ) इस अध्यादेश के प्रयोजनार्थ ^^oS/kkfud ?kks"k.kk&i=@iek.k&i=** से अभिप्रेत है वैसे घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र जिसका उल्लेख केन्द्रीय बिक्री–कर (रजिस्ट्रेशन एवं सकलावर्त) नियमावली, 1957 के नियम 12 में है, और इसमें विधि के अधीन बनाये गये किसी अन्य नियम के अंतर्गत विहित कोई घोषणा पत्र भी शामिल है;

(ण) ^^U;k;kf/kdj.k** से अभिप्रेत है बिहार वित्त अधिनियम, 1981, भाग I की धारा 8 या बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 9 के अधीन गठित न्यायाधिकरण;

(त) शब्द या अभिव्यक्तियाँ जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो विधि या उसके अधीन बनाये गये नियमों में क्रमशः उनके प्रति समनुदेशित किए गए हों।

v/;k; II
fookn dk lek/kku

3. lek/kku jkf'kA& (1) इस अध्यादेश के अन्य प्रावधानों के अधीन विधि के तहत् लंबित विवाद का समाधान पक्षकार के द्वारा इस निमित्त दिए गए आवेदन पर नीचे संलग्न तालिका के कॉलम–3 में विनिर्दिष्ट समाधान राशि के भुगतान पर किया जा सकेगा।

Rkkfydk

Øe l0	fookn dh izdfr	lek/kku jkf'k
1	2	3
1.	किसी वैधानिक प्रमाण–पत्र अथवा घोषणा–पत्र को प्रस्तुत या उपस्थापित करने में विफलता के कारण सृजित बकाया कर	आवेदन करने की तारीख तक आवेदक के पास उपलब्ध वैधानिक प्रपत्रों में सन्निहित कर राशि के समायोजन के पश्चात् विवाद के बकाया राशि की शेष राशि का 100% या ऐसी बकाया राशि के मद में पूर्व से भुगतान की गई राशि, जो भी अधिक हो;
2.	अन्य बकाया कर	विवाद में बकाया कर राशि का 35% या ऐसी बकाया राशि के मद में पूर्व से भुगतान की गई राशि, जो भी अधिक हो;
3.	विधि के अधीन किसी आदेश के माध्यम से अधिरोपित शास्ति या ब्याज या फाईन से उत्पन्न विवाद	विवादित शास्ति या ब्याज या फाईन, यथास्थिति, की राशि का 10% या ऐसे बकाया राशि के मद में पूर्व से भुगतान की गई राशि, जो भी अधिक हो;

Li"Vhdj.k& इस उपधारा के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति **समाधान राशि'' में स्वीकृत कर बकाया के विरूद्ध भुगतान की गई कोई राशि शामिल नहीं होगी एवं पक्षकार स्वीकृत कर की संपूर्ण राशि जमा करेगा।

(2) जहाँ विवाद के समाधान के लिए इच्छुक किसी पक्षकार ने यदि विवाद के संदर्भ में किसी राशि को जमा कर दिया हो तो उक्त राशि को समाधान राशि के मद में भुगतान समझा जाएगा एवं पक्षकार को केवल अंतर राशि का भुगतान करना होगा।

(3) जहाँ विवाद के समाधान के लिए इच्छुक किसी पक्षकार ने विवादित राशि के मद में समाधान राशि के समतुल्य या अधिक राशि का भुगतान पहले ही कर दिया हो, तो उक्त राशि समाधान राशि के मद में भुगतान मानी जायेगी किन्तु समाधान राशि से अधिक जमा राशि वापस नहीं की जाएगी।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अध्यादेश के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे विवाद का समाधान हो चुका माना जायेगा, जिसके संबंध में उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट राशि, विनिर्दिष्ट रीति से एवं समय के भीतर सरकारी कोषागार में जमा कर दी गई है, और उसे किसी प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष जारी नहीं रखा जाएगा।

(5) निम्नलिखित मामलों–
- (i) न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित पुनरीक्षण आदेश, अथवा
- (ii) रेफेरेन्स, अथवा
- (iii) रिट पिटीशन, अथवा
- (iv) विशेष अनुमति याचिका (स्पेशल लीव पिटीशन)।

में अध्यादेश की धारा 5 के अन्तर्गत विवाद के समाधान का आदेश पारित होने पर ऐसा माना जायेगा कि उक्त पुनरीक्षण, रेफेरेन्स, रिट पिटीशन अथवा विशेष अनुमति याचिका पूर्वोक्त समाधान के तहत निष्पादित कर दी गई है।

v/;k; **III**

fookn dk lek/kku dk rjhdk

4. lek/kku dk fy, vkosnuA& विवाद के समाधान के लिए इच्छुक कोई पक्षकार अपना आवेदन विहित पदाधिकारी के समक्ष ऐसे प्रपत्र एवं रीति और समय सीमा के अन्तर्गत प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

5. vkosnu dk fu"iknuA–

(1) धारा 4 एवं तदैव बनी नियमावली में वर्णित अवधि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप जबतक आवेदन नहीं होगा तब तक किसी आवेदन पर विहित प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जायेगाः

(2) धारा 4 के अन्तर्गत समर्पित आवेदन के संबंध में ऐसी रीति और समय सीमा के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी जैसा कि विहित किया जाय।

6. fu;eksa dks cukus dh 'kfDrA–

(1) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार, ऐसे सभी या किसी मामले के लिए नियम बना सकेगी जिन्हें विहित करने की अपेक्षा इस अध्यादेश द्वारा की गयी है या जिनकी बावत नियम प्रावधान किये जाते हैं।

7- fujlu ,oa O;kofÙkA&

(1) बिहार कराधान विवादों का समाधान अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या–11, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अध्यादेश द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अध्यादेश उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

iVuk Qkxw pkSgku]
fnukad&1 tuojh 2021 fcgkj jkT;iky

भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन मैने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

iVuk Qkxw pkSgku]
fnukad&1 tuojh 2021 fcgkj jkT;iky

---

1 जनवरी 2021

सं० एल0जी0–01–17/2020/02/लेज—बिहार राज्यपाल द्वारा **dated-1st January**, 2021 को प्रख्यापित यह fcgkj djk/kku fooknksa dk lek/kku ¼f}rh;½ v/;kns'k] 2020 **(बिहार अध्यादेश संख्या–01, 2021)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल,
सरकार के अवर सचिव ।

(BIHAR ORDINANCE NO.-01, 2021)
THE BIHAR SETTLEMENT OF TAXATION DISPUTES (SECOND) ORDINANCE, 2020

Promulgated by the Governor of Bihar in the Seventy first Year of the Republic of India.

AN
ORDINACE

to provide for settlement of disputes arising from proceedings under Part I of the Bihar Finance Act, 1981 (Bihar Act 5 of 1981) [as it stood before its repeal by section 94 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)],the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005),the Bihar Tax on Entry of goods into Local Areas for Consumption, use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act No16 of 1993), the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988), the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act XXXV of 1948),the Bihar Tax on Advertisement Act,2007,[as they stood before their repeal by section 173 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(BiharAct No. 12 of 2017)],the Bihar Electricity Duty Act.1948 (Bihar Act 36 of 1948)[as it stood before its repeal by section 23 of the Bihar Electricity Duty Act, 2018 (Act 4 of 2018)] and the Central Sales Tax Act, 1956 (Act 74 of 1956),

WHEREAS, The Bihar Settlement of Taxation Disputes Ordinance, 2020 (Bihar Ordinance no.- 11, 2020) was promulgated by the Governor of Bihar on the 21st day of September, 2020;

AND, WHEREAS, no legislative work was taken up during the first session of seventeeth Bihar Legislative Assembly which started from 23rd November, 2020, and continued till 27th November, 2020;

AND, WHEREAS, The Bihar Settlement of Taxation Disputes Ordinance, 2020 (Bihar Ordinance no.- 11, 2020) will cease to operate on the 7th January, 2021, and to give continued effect to the Provisions of the said Ordinance, it is necessary to take immediate necessary action in the matter;

AND, WHEREAS, the Legislature of the State of Bihar is not in session; and the Governor of Bihar is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to promulgate the following Ordinance:-

CHAPTER I
Preliminary

1. ***Short title, extent and commencement.–*** (1) This Ordinance may be called the Bihar Settlement of Taxation Disputes (Second) Ordinance, 2020.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall be deemed to have come into force on the 21st day of September, 2020 and shall remain in force for a period of six months from the said date:

Provided that the State Government may, by a notification published in the official Gazette in this behalf, extend the said period of six months by such further period, not exceeding six months, as may be specified in the said notification.

2. ***Definitions.–****In this Ordinance, unless otherwise required in the context –*

(a) *"Ordinance"* means the Bihar Settlement of Taxation Disputes (Second) Ordinance, 2020;

(b) *"admitted tax"* means the amount of tax admitted as being payable in the returns filed by the party under the law;

(c) *"appeal"* means an appeal under the law pending before the Additional Commissioner of State Tax (Appeals) or the Joint Commissioner of Commercial Taxes (Appeal) appointed and having territorial jurisdiction under section 9 of the Bihar Finance Act, 1981, Part I or section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005;

(d) *"arrear tax, penalty, interest or fine in dispute"* means,-

(i) tax, by whatever name called, payable by an assessee pursuant to an order of assessment, re-assessment or scrutiny or any other order made or passed under the law, or,

(ii) penalty imposed upon an assessee under any provision of the law, or,

(iii) interest payable by an assessee under any provision of the law, or

(iv) fine payable by an assessee under any provision of the law;

(e) *"dispute"* means any proceeding, by way of an appeal, revision, miscellaneous revision, review, reference or any petition in respect of any levy of tax, interest, fine or penalty pursuant to any order passed under the law,in respect of any period on or before 30th day of June, 2017 under the law,which is pending on 31st day of August, 2020, before any authority or Tribunal appointed under the law or, as the case may be, the High Court or the Supreme Court;

Explanation.- For the purposes of this clause a "dispute" includes:

(i) any such levy the full amount in respect of which has not been paid into Government Treasury, or

(ii) a proceeding for recovery of any tax, interest, fine or penalty, initiated by or pending before any authority appointed or prescribed or authorised under the law or under the Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914;

(f) *"disputed amount",* in relation to a dispute, means any tax or interest or fine or penalty which has been determined as being payable by the party pursuant to an order of assessment, re-assessment, scrutiny or any other order made or passed under the law;

(g) *"law"* means Part I of the Bihar Finance Act, 1981 (Bihar Act 5 of 1981) [as it stood before its repeal by section 94 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)], the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the Bihar Tax on Entry of goods into Local Areas for Consumption, use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act No16 of 1993), the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988), the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act XXXV of 1948), the Bihar Tax on Advertisement Act,2007, [as they stood before their repeal by section 173 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act No. 12 of 2017)], the Bihar Electricity Duty Act.1948 (Bihar Act 36 of 1948) [as it stood before its repeal by section 23 of the Bihar Electricity Duty Act, 2018 (Act 4 of 2018)] and the Central Sales Tax Act, 1956 (Act 74 of 1956) ;

(h) *"party"* means any person who is a party to a dispute under the Law and who files an application under this Ordinance for settlement of any dispute;

(i) *"prescribed"* means as prescribed in the Rules made under this Ordinance;

(j) "prescribed authority", for the purposes of this Ordinance, means authorities referred to section 10 of Bihar Value added Tax Act, 2005;

(k) *"revision"* means a petition for revision under the law pending before the Commissioner of Commercial Taxes appointed under section 9 of Part I of

the Bihar Finance Act, 1981 or under section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 or before the Tribunal constituted under the law;

(l) *"settled",* in relation to a dispute, means disposal and conclusion of the proceeding in relation to such dispute;

(m) *"settlement amount"* means the amount upon payment of which the dispute shall be settled;

(n) *"statutory certificates/declarations"* for the purpose of the Act means declarations and certificates mentioned under Rule 12 of the Central Sales Tax (Registration & Turnover) Rules 1957 and includes any Form of declaration prescribed under any other rule framed under the law;

(o) *"Tribunal"* means the Commercial Taxes Tribunal constituted under section 8 of Part I of the Bihar Finance Act, 1981 or section 9 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005;

(p) words or expressions not defined herein shall have the meanings respectively assigned to them under the law or under the rules framed thereunder.

CHAPTER II

Settlement of Disputes

3. ***Settlement amount.***– (1) Subject to other provisions of this Ordinance, a dispute pending under the law may, on an application being made in this behalf by a party, be settled upon payment of the settlement amount as specified in column 3 of the Table appended herein below:

Table

Sl.No.	Dispute relating to:	Settlement amount:
1	**2**	**3**
1.	Arrear of tax on account of failure to furnish or produce any statutory Certificate or Declaration	100% of remaining balance amount of the arrear of tax in dispute, as reduced by the amount of tax involved in the value of Certificates/Declarations in the possession of the applicant till the date of application, or the amount already paid towards such arrear, whichever is higher;
2.	Other Arrear of tax	35% of the arrear of tax in dispute or the amount already paid towards such arrear, whichever is higher;
3.	For dispute arising out of an order levying penalty, fine or interest under the law	10% of disputed amount of penalty or interest or the fine, as the case may be, or the amount already paid towards such arrear, whichever is higher;

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression "settlement amount" shall not include any payment towards any arrear of admitted tax and the party shall deposit the total amount of admitted tax.

(2) Where a party desirous of settling a dispute, has deposited any amount in respect of the dispute, the said amount would be considered as payment towards settlement amount and the party will have to pay the difference amount only.

(3) Where a party desirous of settling a dispute, has already deposited any amount in respect of the dispute which is equal to or more than the settlement amount, the said amount would be considered as payment towards settlement amount and the amount deposited in excess of the settlement amount will not be refunded.

(4) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force but subject to the other provisions of this Ordinance, any dispute in respect of which the amount specified in sub-section (1) has been deposited into Government Treasury, in the manner and within the time specified, shall be deemed to have been concluded and it shall not be continued by any authority or Court before which such dispute is pending.

(5) Upon an order of settlement of a dispute relating to –

(i) a revision petition pending before the Tribunal, or
(ii) a reference, or
(iii) a Writ Petition, or
(iv) a Special Leave Petition

being passed under Section 5 of the Ordinace , the said revision, reference, Writ Petition or Special Leave Petition shall be deemed to have been disposed of in terms of the aforesaid settlement.

CHAPTER III

Manner of Settlement of Disputes

4. ***Application for settlement.***–Any party wishing to settle a dispute shall furnish to the prescribed authority, an application in such form and manner and within such time as may be prescribed.

5. ***Disposal of application***.–

(1) No application shall be considered by the prescribed authority unless the application conforms to the requirements of Section 4 and the rules made thereunder.

(2) Every application furnished under section 4 shall be proceeded in such manner and within such time as may be prescribed.

6. ***Power to make rules.–***

(1) The Government may by notification, make rules for carrying out the provisions of this Ordinance.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Government may make rules for all or any of the matters which by this Ordinance are required to be, or may be, prescribed or in respect of which provision are to be or may be made by rules.

7. ***Repeal and Savings.-***

(1) The Bihar Settlement of Taxation Disputes Ordinance, 2020 (Bihar Ordinance No.- 11, 2020) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Ordinance as if this Ordinance were in force on the day on which such thing was done or action taken

Patna
Dated.— ***1st January 2021***

PHAGU CHAUHAN,
Governor of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in